

- 97 -
BY Speed Post
RTI Matter

No.17012/20/2011-IS-I/CFT-Cell.
Ministry of Home Affairs
IS Division (CFT Cell)

1 North Block New Delhi,
Dated 11 December, 2013.

To


Ms. Rubi Sharma,
D/o Shri Ashok Kumar Sharma,
R/o Rasulpur Rohta,
Tehsil & District Meerut,
Uttar Pradesh

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Madam,

Please refer to your application dated 27.09.2013 received in the CFT Cell of the IS-I Division of the Ministry of Home Affairs on 09.12.2013 seeking information under Right to Information Act, 2005. The CFT Cell of the IS-I Division has no information to furnish in this regard.

The Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005 for the IS-I Division is Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I).


(USP Kushwaha)
Director (CFT) and CPIO

Copy to:-

Admn.II Section, Ministry of Home Affairs, w.r.t. their communication
No.A.42012/81/2013-Ad-II dated 3rd December, 2013..

93
MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

File No.A.42012/81/2013-Ad.II
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

New Delhi the 3rd December, 2013

To

Ms. Rubi Sharma
D/o Shri Ashok Kumar Sharma
R/o Rasulpur Rohta
Tehsil & District Meerut
UTTAR PRADESH

Subject:- Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under Right to Information Act, 2005 – reg.


Sir,

I am directed to refer to your application dated 27-09-2013-2013 received in this Division on 08-11-2013 vide RTI Section's OM No.A-43020/01/2013-ETI dated 29-10-2013 seeking information and detailed reply with regard to a Public Notice reported to have been displayed on a Plot in Meerut (UP) by one Shri Naresh Chand Sharma, S/o Shri Surajbal Sharma, a person alleged to be an MHA Official. It may be stated that Ad.II Section is dealing with the Non-Gazetted Officials of MHA (Group C & Group B) only and no such official is working under the administrative control of Ad.II Section. As such, the information sought under the RTI Act, 2005 in this regard may please be treated as NIL.

2. However, some information may be available with other Divisions also. Therefore, your application is also forwarded to CPIOs of MHA for providing information, if available with them, to you.


3. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn./C&PG), Ministry of Home Affairs, Room No.194, North Block, New Delhi-110001, (Tel.No.23093178), and the appeal, if any, can be made within 30 days of the issue of this reply.

Yours faithfully,


[V.K. RAMAN]
Deputy Secretary (Z) & CPIO
Tel.No.2309 4376

Copy to:-

1. All CPIOs in Divisions of MHA (except Admn. Division, Dir (Per),/D (Per).) – with enclosures.
2. RTI Cell – with reference to their OI dated above.


[V.K. RAMAN]
Deputy Secretary (Z) & CPIO

Sl. No. 1 (R)

आर टी आई मामला/सम

स. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

RECORDED
667-H
11/11/2013

नई दिल्ली, दिनांक 29/10/2013

कार्यालय-राजपु

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा के दिनांक 27/9 (2013) के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 01/10/2013 को प्राप्त) को प्रशासन विभाग को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त विभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 7/10/2013 की रसीद सं 21090 के तहत जमा कर दिया है (सलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत
(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- (1) निदेशक (कार्यालय) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (2) उपसचिव (कार्यालय), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (3) अध्याय सहायक (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (4) अध्याय सहायक (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (5) अध्याय सहायक (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा, पुत्र - श्री अशोक कुमार

ग्राम - शुबलपुर रोहता, तहसील राजौरा - मेरठ

मेरठ - उत्तर प्रदेश

(हालका-8), जे. तुलसी बालोनी, गली नं०-2, चम्करखेड़ा, मेरठ

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

29/10/13

विवा में

01 OCT 2013
1689/88

केंद्र का नाम
एफ.सी.डी.
डी.आर. जयपुर/श्री जैन/CR Section Block

श्री मानू जन सूचना अधिकारी/ सचिव गृह मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय:- जन सूचना अधिाकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

18. प्रश्न:- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रौहटा तहसील व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ, ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व, 554ब क्या विवादित जमीन है, और मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरिक्षक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सूरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है, जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसी गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है। इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावे।

20. यदि आपके मंत्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया ता उनहोंने गृह मन्त्रालय भारत सरकार, आका से सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग का शान्ति जन साधारण के लिये क्या उत्पन्न की है, के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से न्यायिक प्रक्रिया किया जावे तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जावे।

श्री
श्री
श्री
श्री

पू.उ० यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपर
वीर्णित जमीन कैसे विवादित है । और किस न्यायालय में मुकदमा
विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या
तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन
सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण
लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विलुप्त की
जाते । की सूचना अविहितम्ब प्राधिका पत्र प्राप्त होने के उपरान्त
प्राधीन को उत्तर प्रेषित करते हुये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- 24-09-2013

प्राधिका

Reeba Sharma

संलग्नक:-

रुबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा

=====

1- पौ० औ० अंक 10/-रु०

नि० ग्राम रसूलपुर रोहटा , पर० तह० व

सं० -17 F-841722

जिला मेरठ । हाल पता- 81 जे० तुल्सी

दिनांक :- 27/9/13

कालौनी, गली नं०-2, कंकरखेडा, मेरठ ।

2- सूचना जन साक्षारण के प्रकाशन

बोर्ड की पत्रोंटी ।

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...